

21/9/23 पंजावली पेसा
उत्तर प्रकरण के मूल वाद
संबंधी 24/2016 प्रेषणीय
नहीं होने से खारिज किया
गया है।

अतः उत्तर पार्थक्य को

पुंड 212 राजस्थान कारतकारी
कॉडि० एवं आदेश 39 नियम 1 व 2
संपादन चार 151 सी.पी.सी.
को जारी चलाते को कोई कोपिल
नहीं होने से खारिज किया जाता है।
पंजावली पेसा सुधार होकर नंबर
से कर हो।


सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

